बच्चे एवं अपराध का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन रांची नगर के संदर्भ में

अनु कुमारी*

बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है और महान व्यक्ति के साथ ही राष्ट्रीय संपति भी माना जाता है। वैयक्तिक रूप से एक अभिभावक और पूरे समाज के रूप में हमारा एक नैतिक कर्तव्य है कि हम बच्चों के लिए स्वस्थ सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में बड़ा होने की अनुमति और अवसर प्रदान करें ताकि वो जिम्मेदार नागरिक, शारीरिक रूप से तंदुरूस्त, मानसिक सतर्क और नैतिक रूप से स्वस्थ्य बन सकें। ये राज्य का कर्तव्य है कि वो सभी बच्चों को उनकी बढ़ती हुई आयु की समयावधि पर विकास के लिए समान अवसर प्रदान करे जो असमानता को कम करके ओर सामाजिक न्याय को सुनिश्चित कर सके। बच्चों से आज्ञाकारी बड़ों का आदर करने वाला और अपने अंदर अच्छे गुणों को धारण करने वाले होने की अपेक्षा की जाती है। हालांकि बहुत से कारणों के कारण बच्चों का एक निश्चित प्रतिशत पहले से कही हुई सामाजिक और वैध उक्तियों को नहीं मानते। इस तरह के बच्चे अधिकतर अपराधिक गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं जिसे बाल अपराध कहा जाता है। भारत में बाल अपराध एक कड़वी वास्तविकता है। वर्तमान समय में बालक बहुत से खतरनाक अपराधों में शामिल पाये जाते हैं जैसे हत्या, दुष्कर्म आदि। ये एक चिंता का विषय है और पूरा समाज बच्चों द्वारा किये जाने वाले इस तरह के आपराधिक कृत्यों से दुखी है। बहुत से विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान कानून स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अपर्याप्त हैं और हमें इसमें बदलाव लाने की जरूरत है ताकि खतरनाक अपराधों के लिए किशोरों को भी वयस्कों की तरह दंडित किया जाये। लेकिन इसके साथ ही बहुत से लोग इसके विरोध में भी हैं जो इसको नहीं मानते।

जब किसी बच्चे के द्वारा कानून विरोधी या समाज विरोधी कार्य किया जाता है तो उसे बाल अपराध कहते हैं। कानूनी दृष्टिकोण से बाल अपराध 8 वर्ष से अधिक तथा 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे के द्वारा किया गया कानून विरोधी कार्य है जिसे कानूनी कार्यवाही के लिए बाल न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाता है। भारत में बाल न्याय अधिनियम 1986[1] के अनुसार 16 वर्ष तक की आयु के लड़कों एवं 18 वर्ष तक की आयु की लड़कियों के अपराध करने पर बाल अपराधी की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। बाल अपराध की अधिकतम आयु सीमा अलग–अलग राज्यों में विभिन्न है। इस आधार पर किसी राज्य द्वारा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत बालक द्वारा किया गया कानून विरोधी कार्य बाल अपराध है। इसमें केवल आयु ही बाल अपराध को निर्धारित नहीं करती वरन् इसमें अपराध की गंभीरता भी महत्वपूर्ण पक्ष है। 7 से 16 वर्ष का लड़का तथा 7 से 18 वर्ष की लड़की द्वारा कोई भी ऐसा अपराध न किया गया हो जिसके लिए राज्य मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की व्यवस्था करता है। जैसे हत्या, देशद्रोह, घातक आक्रमण आदि तो वह बाल अपराधी माना जाएगा।

अगर बाल अपराध के कारणों को देखें तो इसमें निम्नलिखित को सम्मिलित किया जा सकता है–

आनुवंशिकता, शारीरिक संरचना, परिवारों में टूटन अशिक्षित माता पिता, पक्षपात परिवार एवं समाज, अनैतिक परिवार, सौतेली मां, बुरे साथी, सामाजिक कुप्रथाएं, निर्धनता, बालश्रम, गंदी और घनी बस्तियां, मंद बुद्धी, आवश्यकता पूरी न होने की मनोवृति, सही दिशा में मनोरंजन का आभाव, कुसमायोजन की समस्या, संवेगात्मक अस्थिरता, कुंठा, शिक्षा की कमी आदि महत्वपूर्ण हैं।

दूसरी ओर अगर बाल अपराध के उपचार की बात को देखें तो इनमें निम्नलिखित सम्मिलित किये जा सकते हैं– परीक्षण काल या प्रोबेशन में रखना, सुधार विद्यालय, कारावास, परिवार की भूमिका, समाज व राज्य की भूमिका, मनोवैज्ञानिक उपचार, साक्षात्कार व खेल चिकित्सा सम्मिलित किये जा सकते हैं। परंतु क्या इन प्रयासों के माध्यम से संपूर्ण बाल अपराध पर नियंत्रण किया जा सकता है। यह एक यक्ष प्रश्न है।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से बाल अपराध के लिए आयु को अधिक महत्व नहीं दिया जाता क्योंकि व्यक्ति की मानसिक एवं सामाजिक परिपक्वता सदा ही आयु से प्रभावित नहीं होती, अतः कुछ

* शोध छात्रा, स्नातकोतर समाजशास्त्र विभाग, रांची विश्वविद्यालय रांची

विद्वान बालक द्वारा प्रकट व्यवहार प्रवृति को बाल अपराध का आधार मानते हैं जैसे आवारागर्दी करना, स्कूल से अनुपस्थित रहना, माता पिता एवं संरक्षकों की आज्ञा न मानना, अश्लील भाषा का प्रयोग करना, चरित्रहीन व्यक्तियों से संपर्क रखना आदि। किंतु जब तक कोई वैध तरीका सर्वसम्मति से स्वीकार नहीं कर लिया जाता तब तक आयु को ही बाल अपराध का निर्धारक माना जाएगा। गिलिन एवं गिलिन[2] के अनुसार समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से बाल अपराधी वह व्यक्ति है जिसके व्यवहार को समाज अपने लिए हानिकारक समझता है और इसलिए वह उसके द्वारा निषिद्ध होता है। इस प्रकार बाल अपराध में बालकों के असामाजिक व्यवहारों को लिया जाता है अथवा बालकों के ऐसे व्यवहार का जो लोक कल्याण की दृष्टि से अहितकर होते हैं ऐसे कार्यों को करने वाला बाल अपराधी कहलाता है। रॉबिन्सन[3] के अनुसार आवारागर्दी, भीख मांगना, निरूदेश्य घूमना, उदण्डता बाल अपराधी के लक्षण हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर कानून की अवज्ञा करने वाला एवं समाज विरोधी आचरण करने वाला बालक बाल अपराधी होता है जैसा की न्यूमेयर का कहना है कि बाल अपराधी एक निश्चित आयु से कम वह व्यक्ति है जिसने समाज विरोधी कार्य किया है तथा जिसका दुर्व्यवहार कानून तोड़ने वाला है।

मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्रीय अध्ययनों द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि मनुष्य में अपराधवृतियों का जन्म बचपन में ही हो जाता है। अंकेक्षणों द्वारा यह तथ्य प्रकट हुआ है कि सबसे अधिक और गंभीर अपराध करने वाले बाल श्रेणी के ही होते हैं। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण कानूनी सामाजिक नैतिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्या है। बाल अपराधों का स्वरूप सामान्य अपराधों से भिन्न होता है। कानूनी शब्दावली में देश के निर्धारित कानूनों के विरूद्ध आचरण करना अपराध है किंतु बाल अपराध समाजशास्त्रीय एवं मनोवैज्ञानिक प्रत्यय है। इसमें बालकों द्वारा किये गये वे सभी व्यवहार जो कानूनी ही नहीं वरन किसी भी दृष्टि से समाज तथा व्यक्ति के लिए अहितकर हों, बाल अपराध की सीमा में आते हैं। जैसे विद्यालय से भागना कानूनी दृष्टि से अपराध नहीं है किंतु सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हानिकर है। यह एक ओर तो सभी प्रकार के उतरदायित्वों से भागना सिखाती है और दूसरी ओर बालक को उचित कार्य से हटाकर अनुचित कार्यों की ओर प्रेरित करती है। इस प्रकार बाल अपराध का क्षेत्र अधिक व्यापक है। बाल अवस्था में व्यक्तित्व के निर्माण तथा व्यवहार के निर्धारण में वातावरण का बहुत हाथ होता है। अतः अपने उचित या अनुचित व्यवहार के लिए बालक स्वयं नहीं वरन उसका वातावरण उतरदायी होता हैं इस कारण अनेक देशों में बाल अपराधों के लिए एक अलग न्यायविधान है। उनके न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधिकारी बालमनोविज्ञान के जानकार होते हैं। वहां बाल अपराधियों को दंड नहीं दिया जाता बल्कि उनके जीवनवृत के आधार पर उनका तथा उनके वातावरण का अध्ययन करके वातावरण में स्थित असंतोषजनक, फलतः अपराधों को जन्म देने वाले तत्वों में सुधार करके बच्चों के सुधार का प्रयत्न किया जाता है। अपराधी बच्चों के प्रति सहानुभूति, प्रेम दया और संवेदना का व्यवहार किया जाता है। भारत में भी कुछ राज्यों में बाल न्यायालयों और बाल सुधारगृहों की स्थापना की गई है।

बालक अपराध क्यों करते हैं इस संबंध में विभिन्न मत है। मानवशास्त्रीयों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अपराध का संबंध वंशानुक्रम, शारीरिक बनावट एवं जातिगत विशेषताओं से है। इसी कारण अपराधी जाति के सभी व्यक्ति एक ही जातिगत विशेषताओं और एक सी शारीरिक बनावट के होते हैं। तथा वे एक सा अपराध करते हैं शरीर वैज्ञानिकों का मत भी इसी से मिलता है। उनके मतानुसार विशेष प्रकार की शारीरिक बनावट और प्रक्रियावाला व्यक्ति विशेष प्रकार का अपराध करेगा। किंतु मनोविज्ञान ने सिद्ध किया है कि अपराध का संबंध न तो उतराधिकार से होता है और न ही शारीरिक बनावट से । उतराधिकार में केवल शारीरिक विशेषताएं ही प्राप्त होती है। उनको व्यक्ति की भावनाओं, आकांक्षाओं, प्रवृतियों एवं बुद्धि से सीधा संबंध नहीं होता। समाजशास्त्रीयों का कथन है कि अपराध का जन्मदाता दूषित वातावरण जैसे गरीबी, उजड़े परिवार, अपराधी साथी आदि है। किंतु आधुनिक मनोवैज्ञानिक शोधों द्वारा यह जाना गया है कि एक ही वातावरण ही नहीं वरन एक ही परिवार में पले एक ही माता पिता के बच्चों में से एकआध ही अपराधी होता है, सभी नहीं। यदि अपराध का जन्मदाता वातावरण होता है तो अन्य भाई बहिनों को भी अपराधी बनना चाहिए।

आधुनिक मनोविज्ञान बाल अपराधों का मूल मनोवैज्ञानिक स्थितियों में ढूंढता है। उसके अनुसार हर बच्चे की कुछ इच्छाएं आकांक्षाएं एवं आवश्यकताएं होती हैं। उन्हें पूरा करने का वह प्रयत्न करता है। उसके इस प्रयास में अनेक बाधाएं आती हैं जिन्हें वह जीतने का प्रयत्न करता है। अपने प्रयत्नों के फल से वह या तो संतुष्ट होता है या असंतुष्ट अथवा उदासीन। किंतु उदासीनता के भाव कम ही हो पाते हैं।

संतोष और असंतोष का संबंध सफलता या उपलब्धि से नहीं है वरन संतोष आपेक्षिक प्रत्यय है। निर्धन किसान अपनी स्थिति में संतुष्ट रह सकता है किंतु करोड़पति व्यवसायी नहीं। असंतोष को दूर करने का प्रयास मानव स्वभाव है। इसे दूर करने के समाज द्वारा स्वीकृत ढंग जब असफल हो जाते हैं तब व्यक्ति ऐसा ढंग अपनाता है जा सफल हो, भले ही वह समाज के लि हानिकर और उसके द्वारा अस्वीकृत ही क्यों न हो तभी वह अपराधी बन जाता है। जैसे कोई कमजरोर विद्यार्थी अनुतीर्ण होने पर अपनी कमजोरी का ध्यान करके अपनी स्थिति में संतुष्ट रह सकता है। किंतु कक्षा का तेज विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उतीर्ण होने पर आत्महत्या तक कर सकता है। इसलिए मूल प्रश्न संतोष एवं असंतोष की मात्रा का है।

इसलिए अपराध एक प्रकार का आत्मप्रकाशन तथा व्यवहार है। बाल अवस्था के अपराध भी स्वाभाविक व्यवहार के ढंग हैं। केवल उनका परिणाम समाज तथा व्यक्ति के लिए अहितकर होता है। अतः समाज को इस अहितकर स्थिति से बचाने के लिए मनोवैज्ञानिक की सहायता से अभिभावकों तथा अध्यापकों को यह देखना होगा कि बच्चे के अपराधी आचरण की कारणभूत कौन सी असंतोषजनक स्थितियां विद्यमान हैं रोग के कारण को दूर किजीए रोग दूर हो जाएगा यह चिकित्साशास्त्र है। अपराधी व्यवहार भी सामाजिक रोग है। इसके कारण असंतोषजनक स्थिति को दूर करने पर अपराधी व्यवहार स्वयं समाप्त हो जाएगा और अपराधी बड़ा बनकर समाज का योग्य सदस्य तथा देश का उतरदायित्वपूर्ण नागरिक बन सकेगा।

बाल अपराध की दर एवं प्रवृति

भारतीय समाज में बाल अपराध की दर दिनोदिन बढ़ती जा रही है साथ ही इसकी प्रकृति भी जटिल होती जा रही है। इसका कारण है कि वर्तमान समय में नगरीकरण तथा औद्योगिकरण की प्रकिया ने एक ऐसे वातावरण का सृजन किया है जिसमें अधिकांश परिवार बच्चों पर नियंत्रण रखने में असफल सिद्ध हो रहे हैं। वैयक्तिक स्वतंत्रता में वृद्धि के कारण नैतिक मूल्य बिखरने लगे हैं इसके साथ ही अत्यधिक प्रतिस्पर्धा ने बालकों में विचलन को पैदा किया है। कंप्यूटर और इंटरनेट की उपलब्धता ने इन्हें समाज से अलग कर दिया है। फलस्वरूप वे अवसाद का शिकार होकर अपराधों में लिप्त हो रहे हैं। सन 2000[4] के आंकड़ों के अनुसार भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कुल 9267 मामले पंजीकृत किये गये तथा स्थानीय एवं विशेष कानून के अंतर्गत 5154 मामले पंजीकृत किये गये। बाल अपराध की दर में विभिन्न वर्षों में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। 1997 में बालकों में अपराध की दर 0.8 प्रतिशत थी वहीं बढ़कर 1998 में 1.0 प्रतिशत था इसके बाद 1999–2000 में 0.9 प्रतिशत रही। बालकों द्वारा किये गये अपराधों में से भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सबसे अधिक संपति संबंधी थे। सन् 2000 में दंड संहिता के अंतर्गत कुल संज्ञेय अपराधों में से चोरी के 2385, लूटमार के 1497 तथा सेंधमारी के 1241 मामले पाये गये इसके अलावा लैंगिक उत्पीड़न के 51.9 प्रतिशत, डकैति के 32 प्रतिशत, हत्या के 28.6 प्रतिशत तथा बलात्कार के 24.5 प्रतिशत मामले पाए गये। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत बाल अपराध की सर्वाधिक दर मध्यप्रदेश में 2681 और महाराष्ट्र में 1641 पायी गयी। इसी प्रकार महानगरों जैसे बंबई, दिल्ली में भी बाल अपराध की उच्च दर पायी गयी।

बाल अपराध के प्रकार

बाल अपराध व्यवहार की शैली और समय में विविधता प्रदर्शित करता है। प्रत्येक प्रकार का अपना सामाजिक संदर्भ होता है। कारण होते हैं तथा विरोध और उपचार के अलग स्वरूप होते हैं जो की उपयुक्त समझे जाते हैं। हावर्ड बेकर[5] ने चार प्रकार के बाल अपराध बताएं हैं– वैयक्तिक बाल अपराध, समूह समर्थित बाल अपराध, संगठित बाल अपराध, स्थितिजन्य बाल अपराध।

वैयक्तिक बाल अपराध

यह वह बाल अपराध है जिसमें एक व्यक्ति ही आपराधिक कार्य करने में संलग्न होता हैं ओर इसका कारण भी अपराधी व्यक्ति में ही खोजा जाता हैं इस अपराधी व्यवहार की अधिकतर व्याख्याएं मनोचिकित्सक समझाते हैं। उनका तर्क है कि बाल अपराध दोषपूर्ण पारिवारिक अंतःक्रिया प्रतिमानों से उपजी मनोवैज्ञानिक समस्याओं के कारण किये जाते हैं। हीले और ब्रोनर[6] ने अपराधी युवकों की तुलना उन्हीं के अनअपराधी सहोदरो से की ओर उनके बीच अंतरों का विश्लेषण किया उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि 13 प्रतिशत अनअपराधी सहोदरों की तुलना में 90 प्रतिशत अपराधी बालकों का जीवन दुःख से भरा था और वे अपने जीवन की परिस्थितियों से असंतुष्ट थे उनकी अप्रसन्नता की

प्रकृति भिन्न थी। कुछ तो मां बाप द्वारा उपेंक्षित मानते थे तथा अन्य या तो हीनता का अनुभव करते थे या अपने सहोदरों से ईर्ष्या करते थे या फिर मानसिक तनाव से पीड़ित थे। इन समस्याओं के समाधान के लिए वे अपराध में लिप्त हो गये थे क्योंकि इससे या तो उनके माता–पिता का ध्यान उनकी ओर आकर्षित होता था या उनके साथियों का समर्थन उन्हें मिलता था या उनकी अपराध भावना को कम करता था। बंदूरा और वाल्टर्म[7] ने श्वेत बाल अपराधियों के कृत्यों की तुलना अनअपराधी लड़कों से की जिनमें आर्थिक कठिनाईयों के स्पष्ट संकेत नहीं थे, उनहें पता चला की अपराधी अनअपराधियों से उनकी माताओं के साथ संबंधों की दृष्टि से थोड़ा सा भिन्न ही है। लेकिन उनके पिताओं के साथ अपने संबंधों में कुछ अधिक भिन्न थे। इस प्रकार अपराध में पिता पुत्र संबंध, माता पुत्र संबंध की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण दिखाई दिये क्योंकि अपने पिता में आदर्श भूमिका की अनुपस्थिति के कारण अपराधी लड़के नैतिक मूल्यों का आंतरीकरण नहीं कर सके। इसके साथ ही उनका अनुशासन अधिक कठोर था।

समूह समर्थित बाल अपराध

इस प्रकार के अपराध में बाल अपराध अन्य बालकों के साथ में घटित होता है और इसका कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व या परिवार में नहीं मिलता, बल्कि उस व्यक्ति के परिवार व पड़ोस की संस्कृति में होता है। थ्रेथर शॉ और मैके[8] के अध्ययन भी इसी प्रकार के बाल अपराध की बात करते हैं मुख्य रूप से यह पाया गया कि युवक अपराधी इसलिए बना क्योंकि वह पहले से ही अपराधी व्यक्तियों की संगति में रहता था, बाद में सदरलैंड ने इस तथ्य को स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किये। जिसने विभिन्न संपर्क के सिद्धांत का विकास किया।

संगठित बाल अपराध

इसमें वे अपराध सम्मिलित हैं जो औपचारिक रूप से संगठित गिरोहों द्वारा किये जाते हैं। इस प्रकार के अपराधों का विश्लेषण सन् 1950 के दशक में अमरीका में किया गया था तथा अपराधी उपसंस्कृति की अवधारणा का विकास किया गया था। यह अवधारणा उन मूल्यों और मानदण्डों की ओर संकेत करती है जो समूह के सदस्यों के व्यवहार को निर्देशित करते हैं अपराध करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हैं इस प्रकार के कृत्यों पर उन्हें प्रस्थिति प्रदान करते हैं और उन व्यक्तियों के साथ उनके संबंधों को स्पष्ट करते हैं जो समूह मानदण्डों से बाहर के समूह होते हैं।

स्थिति जन्य अपराध

इस प्रकार के अपराध की मान्यता यह है कि अपराध गहरी जड़े नहीं रखता और अपराध के प्रकार और इसके नियंत्रित करने के साधन अपेक्षाकृत बहुत सरल होते हैं। एक युवक की अपराध के प्रति गहरी निष्ठा के बिना अपराधी कृत्य में संलग्न हो जाता है। यह या तो कम विकसित, अन्तः नियंत्रण के कारण होता है या परिवार नियंत्रण में कमजोरी के कारण या इस विचार के कारण कि यदि वह पकड़ा भी जाता है तो भी उसकी अधिक हानि नहीं होगी। डेविड माटजा ने इसी प्रकार के अपराध का संदर्भ दिया है।

बाल अपराधियों का वर्गीकरण

विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न आधारों पर बाल अपराधियों का वर्गीकरण किया गया है। उदाहरणार्थ इन्हें 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है–

- देर रात तक बाहर रहना
- स्कूल से भागना
- चोरी
- संपति की क्षति
- हिंसा एवं यौन अपराध

ईनर और पॉक ने अपराधों के प्रकार के आधार पर पांच प्रकारों में वर्गीकरण किया है–

- छोटे छोटे उल्लंघन
- वृहद उल्लंघन
- संपति संबंधी
- मादक व्यसन
- शारीरिक हानि

राबर्ट ट्रोजानोविज[9] ने अपराधियों को आकस्मिक असामाजिकतापूर्ण, आक्रामक, कदाचनिक और गिरोह संगठित में वर्गीकृत किया है। मनोवैज्ञानिकों ने बाल अपराधियों को उनके वैयक्तिक गुणों या व्यक्तित्व की मनोवैज्ञानिक गत्यात्मकता के आधार पर चार भागों में बांटा है, मानसिक रूप से दोषपूर्ण मनस्तापी, तणिकामय पीडित और स्थितिजन्य।

बाल अपराध के कारण

बाल अपराध एक सामाजिक समस्या है। अतः इसके अधिकांश कारण भी समाज में ही विद्यमान हैं। इसके कारणों को निम्नलिखित श्रेणीयों में विभाजित किया जा सकता है–

पारिवारिक कारण

परिवार बच्चों की प्रथम पाठशाला है जहां वह अपने माता पिता एवं भाई बहनों के व्यवहारों से प्रभावित होता है। जब माता पिता बच्चों के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करने में असमर्थ रहते हैं तो बच्चों से भी श्रेष्ठ नागरिक बनने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। परिवार से संबंधित कई कारण बालक को अपराधी बनाने में उतरदायी है।

भौतिक वंशानुक्रमण

बच्चों के शरीर और स्वास्थ्य का संबंध उसके वंशानुक्रमण से भी है जो कि उसकी शारीरिक और सामाजिक भूमिकाओं को प्रभावित करता है। इटली के अपराधशास्त्री लोम्ब्रोसो[10] ने तो अपराधी प्रवृति को व्यक्ति की शारीरिक विशेषताओं से जनित ही माना था। गोडाई, रिचार्ड डुग्डेल एवं इस्टा बुक ने कालिकाक और ज्यूक परिवारों का अध्ययन करके पाया कि ये परिवार शारीरिक दृष्टि से क्षत विक्षत थे तथा इन परिवारों की सभी पीढ़िया अपराधी थी। भारत में भूतपूर्व अपराधी जनजातियों को भी वंशानुक्रमण के आधार पर अपराधी घोषित किया गया था। अपराधी को वंशनुक्रमण की देने मानने वाले विद्वान मेंडल के वंशानुक्रमण के सिद्धांत से प्रभावित थे।

अपराधी भाई बहन

बच्चें अनुकरणप्रिय होते हैं वे हर अच्छे बुरे काम को बड़ों से अनुकरण के आधार पर सीखते हैं। यदि परिवार में बड़े भाई बहिन अपराधी हैं और उनके साथ बुरा वर्ताव करते है तो बच्चों का व्यक्तित्व विकृत हो जाता है। उनमें विद्रोही भावना के स्वर मुखरित होता है। वे दुषित वातावरण से बाहर रहने लगते हैं और गलत संस्कार प्राप्त कर अपराधी बन जाते हैं अथवा माता पिता बच्चे को समान रूप से स्नेह नही देते तो ऐसी स्थिति में भी बच्चे अपने परिवार से अलग कर लेते हैं और उनके मन में अपराध की भावना जागृत हो जाती है।

माता पिता द्वारा तिरस्कार

माता पिता द्वारा बच्चे के विकास और अंतःकरण पर सीधा प्रभाव डालते हैं। अंतविवेक की कमी होने के कारण शत्रुता की भावना के साथ मिलकर आक्रामकता को जन्म देती है। ऐण्डी[11] ने भी माना है कि बाल अपराधी अपराधियों की अपेक्षा माता पिता का प्यार कम पाते हैं।

परिवार की आर्थिक दशा

बच्चों की आवश्यकताओं को जुटा पाने में असमर्थ परिवार भी बच्चे में असुरक्षा पैदा कर सकता है ओर उस नियंत्रण की मात्रा को प्रभावित कर सकता है जो परिवार बच्चे पर डाल सकता है क्योंकि वह भौतिक समर्थन तथा सुरक्षा परिवार के बाहर खोजता है। पीटरसन और बेकर ने बताया कि अपराधियों के परिवार प्रायः भौतिक रूप से कमजोर होते हैं जो कि बाल अपराधी के स्वयं के प्रत्यक्षण को प्रभावित कर सकते हैं और उसको घर से भागने में सहायक हो सकते हैं।

भीड़ भाड़ युक्त परिवार

आधुनिक समाज में नगरीकरण के परिणामस्वरूप व्यक्ति को रहने का पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाता बड़े परिवार को भी बहुत छोटे स्थान में रहना पड़ता है। इसके कारण माता पिता न तो बच्चों पर पूर्ण ध्यान दे पाते हैं न हीं कोई आंतरिक सुरक्षा उन्हें मिल पाती है। मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध नहीं होते हैं अतः बच्चे अपराध की ओर प्रवृत हो जाते हैं माता पिता स्वयं ही उन्हें बाहर भेजना पसंद करते हैं जहां बच्चे अपराधी बालकों की संगति प्राप्त करते हैं और स्वयं भी अपराधी बन जाते हैं।

रॉची नगर क्षेत्र का विवरणः–2011 की जनगणना के अनुसार की झारखण्ड की कुल जनसंख्या 32966238 है। जिसमें पुरूषों की संख्या 16931688 और महिलाओं की संख्या 16034550 है। यहां का जनसंख्या का घनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। और लिंगानुपात 947 है। झारखण्ड की साक्षरता दर

67.63 प्रतिशत है। जिसमें स्त्री साक्षरता 56.21 प्रतिशत और पुरूषों की साक्षरता दर 78.45 प्रतिशत है। रांची जिला का क्षेत्रफल 4962.82 वर्ग किमी है। जिसकी कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 2912022 है। यहां की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 23.90 प्रतिशत है। झारखण्ड की कुल जनसंख्या का 8.83 प्रतिशत भाग रांची में निवास करता है। जनसंख्या की दृष्टि से यह झारखण्ड का पहला जिला है। रांची जिले में 0–6 वर्ष की आयु के बच्चों की कुल संख्या 388052 है जिसमें लड़कों की संख्या 200327 और लड़कीयों की संख्या 187725 है। यहां का लिंगानुपात 950 है। रांची की साक्षरता दर 77. 13 प्रतिषत है। जिसमें पुरूष साक्षरता 85.63 प्रतिशत और महिला साक्षरता 68.20 प्रतिशत है। और इसका जनसंख्या घनत्व 557 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है।[12] अगर रांची के नगरीय क्षेत्र को देखे तो यहां पर बाल अपराध की दरों में भी दिन प्रतिदिन की बढ़ोतरी दिखाई पड़ती है। जिसे निम्न उपायों के आधार पर रोका जा सकता है–

बाल अपराधों को रोकने के लिए वर्तमान में दो प्रकार के उपाय किये गये हैं प्रथम उनके लिए नए कानूनों का निर्माण और दूसरा सुधार संस्थाओं तथा स्कूलों का निर्माण।

कानूनी उपाय

बाल अपराधियों को विशेष सुविधा देने और न्याय की उचित प्रणाली अपनाने के लिए बाल अधिनियम और सुधारालय अधिनियम बनाए गए हैं। भारत में बच्चों की सुरक्षा के लिए 20 वी सदी की दूसरी दशाब्दी में कई कानून बने। बच्चों को दण्ड देने के बजाए उनमें सुधार किया जाए एवं उन्हें युवा अपराधियों से पृथक रखा जाए। उपेक्षित बालकों तथा बाल अपराधियों को दूसरे अपराधियों के साथ जेल में रखने पर रोक लगे। उपेक्षित बालकों को बाल गृहों का अवलोकन गृहों में किया जाए। बाल अपराधियों के कल्याण और पुनर्वास की व्यवस्था करें।

जगह जगह बाल न्यायालय बने, बच्चे के मस्तिष्क में कोर्ट का आतंक दूर हो जाए ज्यों ही कोई बालक अपराध करता है तो उसे बाल न्यायालय में यथाशीघ्र भेजा जाये। रिमांड क्षेत्र या अवलोकन, प्रमाणित या सुधारात्मक विद्यालय परिविक्षा हॉस्टल इसके लिए सहायक होंगे।

निष्कर्ष में ये कहा जा सकता है कि हम वैसे प्रावधान करें जो न्याय के ज्यादा से ज्यादा करीब हो प्रबल हो। कानून को कूरता के एक कार्य के कारण बदलना एवं संशोधित करना आवश्यक है। साथ ही संसद में संशोधन में इस पर चर्चा अवश्य होनी चाहिए कि हम समाज के रूप में एक न्याय पर आधारित व्यवस्था चाहते हैं या प्रतिकार और सजा या एक ऐसी व्यवस्था जो बाल अपराधियों के सुधार और समावेश के योग्य हो। राज्य के साथ ही समाज अपने बच्चों के लिए कुछ जिम्मेदारियों को रखता है कि वे राह से न भटके और समाज का मुख्य पक्ष बना रहे।

संदर्भ सूची

1. भारत में बाल न्याय अधिनियम 1986 (*labour.gov.in/sites/default/files/act*)
2. गिलिन एवं गिलिन, उद्धृत सिरिल बर्ट, 1938, दि यंग डेलिंक्वेंट, लंदन प्रेस पृ 29
3. रॉबिन्सन उद्धृत मेरी गिब्सन, 2006, क्राइम एण्ड दी मैन, डयूक युनिवर्सिटी प्रेस, डयूक पृ 119
4. एन सी आर बी रिपोर्ट 2001 पृ 110
5. हावर्ड बेकर उद्धृत के आर, 1955,सर्चलाइट ऑन डेलिंक्वेंसी, इंटरनेशनल युनिवर्सिटी प्रेस आइएनसी पृ 209
6. हीले एंड ब्रोनर, 1966, न्यू लाइटस ऑन डेलिंक्वेंसी ऐंड इटस ट्रीटमेंट, येल युनिवर्सिटी प्रेस पृ 2
7. बंदूरा एवं वाल्टर्म,1977, दी वेवर्ड युथ,कैलिफोर्निया युनिवर्सिटी प्रेस, कैलिफोर्निया पृ 29
8. थ्रेसर शॉ एवं मैके,1969, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी ऐंड अरबन एरियाज, युनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस पृ 311
9. राबर्ट ट्रोजानोविज उद्धृत पी वी यंग,1937, सोशल ट्रीटमेंट इन प्रोबेशन ऐंड डेलिंक्वेंसी, मैक ग्रा हिल्स फर्स्ट एडिसन पृ 200
10. लोम्ब्रोसो, 2015, क्राइम इटस कॉजेज एण्ड रेमिडिज, फॉरगोटेन बुक्स प्रकाशन, पृ 390
11. ऐण्डी उद्धृत पर्सी सोसाइटी, 2012,दी इंग्लिश कन्विक्ट, जेनरल बुक्स एलएलसी पृ 112
12. भारत की जनगणना 2011

●